

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल  
श्रीमती वाडी डेवी वनाम वरदु (वर्गा)

किस्म मुकदमा ..... प्रा.पत्र 111-128 ..... नं. 90 ..... सन 2023

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

16-5-23 वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 9-6-23 को  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक क्लर्क माण्डल

20/6/23 पजावली महगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग  
अभियान 2023 ग्राम पंचायत लेखना में पेश हुई, विपक्षीगण  
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. पजावली  
दिये गये। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर  
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.प. किया गया। पजावली  
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुकमी चन्द शिहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 90/23 प्रा0पत्र

1- श्रीमती लाली देवी 1604/1605 श्री बाबुलाल कुमातर निवासी- हाजवो कारवेडा तहसील

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री बाबु 1604/1605 श्री भीमराज कुमातर निवासी- हाजवो कारवेडा तहसील- गाँवल (कारा)  
(सहायक प्रा0पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 20.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हाजवो कारवेडा पटवार हल्का करिया तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1604, 1605 कुल किता 0.2 रकबा 0.4679 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.05.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक वी न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हाजवो कारवेडा पटवार हल्का करिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1604, 1605 कुल किता 0.2 रकबा 0.4679 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमगारा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023